



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 66 राँची, सोमवार,

6 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

शुद्धि पत्र

16 दिसम्बर, 2022

संख्या-4/प्रो०-03-01/2022 का० 8069--विभागीय अधिसूचना संख्या 8001 दिनांक 14.12.2022 के क्रम सं० 18 में श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 307/20, गृह जिला देवघर), कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद अतिरिक्त प्रभार- कार्यपालक पदाधिकारी, राजमहल नगर पंचायत एवं क्रम सं० 20 में श्री संजय कुमार (कोटि क्रमांक 311/ 20, गृह जिला उत्तर प्रदेश) कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद अंकित हो गया है ।

2. उक्त अधिसूचना में "श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, कार्यपालक पदाधिकारी, साहेबगंज नगर परिषद अतिरिक्त प्रभार-कार्यपालक पदाधिकारी, राजमहल नगर पंचायत" के स्थान पर "श्रीमती कंचन कुमारी भुदोलिया, सहायक नगर आयुक्त, धनबाद नगर निगम" पढ़ा जाय ।

3. उक्त अधिसूचना में "श्री संजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, गढ़वा नगर परिषद" के स्थान पर "श्री संजय कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, गुमला नगर परिषद" पढ़ा जाय ।
4. अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।
